फा.सं प्रशा /1025/ हि.क./ हि.प./ 2018

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक

(मध्य कमान)

1,करियप्पा मार्ग

लखनऊ छावनी -226002

दिनांकः 25 .10.2018

(वेबसाइट के माध्यम से)

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

1. अधीनस्थ कार्यालय

2. समस्त अनुभाग,मुख्य कार्यालय

विषयः राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

****

राजभाषा अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु वर्ष 2018-19 के लिए संगठन के अधीनस्थ कार्यालयों/अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियाँ पाई गईं जिन्हें दूर करने हेतु निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैः-

1.राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में भरे जा रहे आंकड़ों के रिकार्ड स्वरूप निम्नलिखित रजिस्टर बनाए जाएं-

(क) राजभाषा अधिनियम 1963 का धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजातों* का रजिस्टर।

* (1.**सामान्य आदेश** 2. . **प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट** 3. प्रेस विज्ञप्तियां 4. संविदाएं 5. करार 6. अनुज्ञप्तियां 7. अनुज्ञा पत्र 8. निविदा सूचनाएं 9. निविदा प्रारूप)

(ख) हिन्दी भाषा में **प्राप्त पत्र** (ई-मेल सहित) तथा उनका हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में क्षेत्रवार (क,ख,ग) दिए गए उत्तरों का रजिस्टर।

(ग) अँग्रेजी भाषा में **प्राप्त पत्र**(ई-मेल सहित) तथा उनका हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में क्षेत्रवार (क,ख,ग) दिए गए उत्तरों का रजिस्टर।

(घ) उपर्युक्त क्रम सं. 1,2 एवं 3 के अलावा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में जारी किए गए **मूल पत्रों** का रजिस्टर।

2. सामान्य आदेश, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी(हिन्दी/अँग्रेजी) रूप में जारी किए जाएँ।

3. क' तथा 'ख' क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं।

4. कार्यालय/अनुभाग में प्रयोग में लाए जाने वाले समस्त रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ हिन्दी में की जाएं।

5. एक बार प्राप्त लक्ष्य में किसी प्रकार की गिरावट न आने दी जाए तथा राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पाने का सतत प्रयास जारी रखा जाए।

6. सभी अधीनस्थ कार्यालय एवं प्रशासन –2 अनुभाग (स्थानीय) यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम 1976 के नियम11 में उल्लिखित वस्तुएं(रबर की मोहरें , नाम पट, सूचना पट आदि) हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में तैयार कराई जाएं।

कृपया उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ।

ताबिश शम्स

(ताबिश शम्स)

उपनियंत्रक(प्रशा.)